प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनाँक 08.07.2025

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप रिष्टि कारित करने के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व कुल 3000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनाँक 07.07.2025 को मा0 न्यायालय – **सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत एनसीआर नं0 147/2003 धारा 427 भादवि के मामलें में अभियुक्तगण 1. चन्द्रमणि पुत्र गौरीशंकर राय 2. विनोद पुत्र चन्द्रमणि राय निवासीगण बेलहरकला थाना बखिरा (वर्तमान थाना बेलहरकला) जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध करते हुए धारा 427 भादवि के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा तथा कुल 3000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिन का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा। धनराशि में से कुल 2600रु0 पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति देय होगी।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता यार मोहम्मद पुत्र डील मोहम्मद निवासी कन्हौली थाना नगर जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा, हे0का0 रामविनय यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 17 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 12 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 166 वाहनों से 2,22,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 166 वाहनों से 2,22,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को 01 वर्ष 04 माह के कठोर कारावास व कुल 5,000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनाँक 08.07.2025 को **मा0 न्यायालय – ए0एस0जे0 प्रथम संतकबीरनगर** द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 472/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त निर्मल केवट पुत्र हरिचरन निवासी तेजपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अपराध के लिए 01 वर्ष 04 माह के कठोर कारावास व कुल 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।